FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बाजदायरी प्रा०पत्र स्वीकार 3/3/2021

APP-A

Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कल्ला पु० श्री अन्ना मेहरात व अन्य बनाम श्रीमती नन्दू देवी ज०स्व० शंकरलाल व अन्य

किस्म मुकदमा बाजदायरी प्रा०पत्र नम्बर 84 सन् 2021 (4/19८)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री G.S. लखावत श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
3.3.2021	यह प्रार्थना पत्र बाजदायरी श्री जी.एस.लखावत एड़वोकेट ने न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 06.1.2021 को अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के फलस्वरूप पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी के प्रस्तुत कथन एवं प्रार्थना पत्र में देरी के संतोषजनक कारण होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर बाजदायरी प्रार्थना पत्र में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। बाजदायरी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील माननीय न्यायालय में विचाराधीन थी। प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थी को न्यायालय में प्रत्येक पेशियों पर आने से मना किया हुआ था। जब भी आवश्यकता होगी सूचना कर देगें इस कारण अपीलांट इसी विश्वास में रहा तथा नियत दिनांक को अपीलांट बीमार हो जाने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता और न ही अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित हुए और बरवक्त आवाज दिये जाते समय प्रार्थी के अभिभाषक अन्य न्यायालय में प्रकरण में बहस कर रहे थे इस कारण अभिभाषक माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये इसलिए माननीय न्यायालय में उपरोक्त प्रकरण को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर पारित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक प्राथीगण की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	